

प्रेषक:

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा
सेक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

रजिस्ट्रार / प्राचार्य

राज्य के सभी विश्वविद्यालय/ डिग्री राजकीय महाविद्यालय/ अराजकीय अनुदान प्राप्त/ स्वपोषित डिग्री
महाविद्यालय/ राजकीय शिक्षण महाविद्यालय।
हरियाणा।

यादि क्रमांक: DHE-110008/2/2020-Sch (4)

दिनांक, पंचकूला 01-02-2021

विषय:

Fresh award of Haryana State Merit Scholarship Scheme on the basis of 10+2
Exam held in March/April 2020 @Rs. 300/-PM and PG @Rs. 450/- PM for the
year 2020-21.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में राज्य के सरकारी, अराजकीय सहायता प्राप्त, स्ववित पोषी महाविद्यालय तथा
निश्वविद्यालयों में हरियाणा राज्य के निवासी, जिसने महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है तथा छात्र /
छात्रा द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से मार्च 2020 में 10+2 कक्षा उत्तीर्ण की है। हरियाणा सरकार
द्वारा हरियाणा स्टेट मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण 100 छात्र तथा 150 छात्रा एवं शहरी 100 छात्र
तथा 150 छात्रा को स्टेट मैरिट के आधार पर 300 रूपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जानी है।
अतः महाविद्यालयों में दाखिला 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र / छात्रा के प्रमाण-पत्र सहित पूर्ण
सूचना निम्नांकित प्रोफार्मा अनुसार भिजवाएं।

Sr. No.	Name of the Institution	Name of the Students	Name of the Father	Class	Roll No.	Marks	%	Urban/Rural

स्कीमानुसार जिन छात्र / छात्राओं ने BA/B.Com/B.Sc. IIIrd Year स्नातक वर्ष 2020 में उत्तीर्ण की और
स्नातकोत्तर में दाखिला लिया हुआ है, को स्टेट मैरिट के आधार पर 450/- रूपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति राशि
दिया जाना प्रस्तावित है। उन छात्रों जिन्होंने महाविद्यालयों में दाखिला 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले
छात्र / छात्रा के प्रमाण-पत्र सहित पूर्ण सूचना निम्नांकित प्रोफार्मा अनुसार भिजवाएं:-


Sr. No.	Name of the Institution	Name of the Students	Name of the Father	Class	Roll No.	Marks	%

नोट: जिन छात्र / छात्राओं द्वारा अन्य किसी स्कीम में छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है या आवेदन किया हुआ है।
उसे इस स्कीम में छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। उपरोक्त सूचना विभाग को दिनांक 03.02.2021 तक
ही अवस्था में निदेशालय में भिजवाएं। अन्यथा सूचना समय पर प्राप्त न होने पर समझ लिया जाएगा कि आपके
महाविद्यालय में पात्र कोई छात्र / छात्रा नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि पात्र छात्र / छात्राओं की सूची विभाग को उक्त तिथि तक
अवश्य भिजवाएं। ताकि स्कीमानुसार पात्र छात्र / छात्राओं की राशि समय पर भेजी जा सके। आपको यह भी सूचित
किया जाता है कि सम्बन्धित सूचना व क्लेम Excel format व एक प्रति PDF में भेजना सुनिश्चित करें जोकि
सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।

कृपया सम्बन्धित सूचना schhrymerit@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। किसी
अन्य ई-मेल पर भेजे गए क्लेम व सूचना स्वीकृत नहीं होंगे।

किसी भी प्रकार की देरी के लिए रजिस्ट्रार / प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होंगे।



उपनिदेशक, छात्रवृत्ति

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा

Endstt: - RAS/2021/A-II/03-29 dated: 4-02-2021

Copy of above is forwarded to the following for information and necessary action.

1. All the chairperson's UTD's, CDW, SIRSA
2. Principal University College, CDW, SIRSA
3. Accounts Officer CDW, SIRSA
4. Incharge EDP cell, website a request to upload on University website.


04/02/2021
Assistant Registrar (R&I)
Chaudhary Devi Lal University,
Sirsa.